

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 379507

पटना, दिनांक 18/07/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0आ0पूर्ण)-103-102/2016

प्रेषक,

कैवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास योजना को बंद करने के लिए सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के साथ ही सभी निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आवासों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-376763 दिनांक-27.06.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में इंदिरा आवास योजना के खातों का Settlement एवं उसे बंद कराने के उद्देश्य से प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए दिनांक 30.06.18 तक वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र Annexure में वांछित सूचना अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वसभाजन
(कैवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 376763
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0आ0पूर्ण)-103-102/2016

पटना, दिनांक 27.06.2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।


विषय :- इंदिरा आवास योजना को बंद करने के लिए सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के साथ ही सभी निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आवासों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सभी निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के साथ ही सभी निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों को दिनांक 31.03.18 तक आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के संसूचित निर्णय के आलोक में कतिपय विभागीय पत्रों के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था । साथ ही जैसे सभी आवास जिनके प्रथम किश्त का भुगतान के उपरांत द्वितीय/अग्रोत्तर किश्त का भुगतान लंबित है, इनमें द्वितीय किश्त के भुगतान का प्रावधान करने के उद्देश्य से विभागीय पत्रांक-367117 दिनांक-26.04.18 से Single Page Entry Module उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रविष्टि आवास सॉफ्ट पर करने का निदेश दिया गया था । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से इंदिरा आवास योजना के खातों का Settlement एवं खातों को बंद करने के उद्देश्य से विहित प्रपत्र में विभाग से प्रमाण-पत्र की मांग की गई है । इस संबंध में जिला स्तर से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ।

अतः अनुरोध है कि संलग्न Annexure में सूचना विभाग को दिनांक 30.06.18 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

Information on Indira Awaas Yojana (IAY) houses as on 31st March, 2018

Name of the District -

Number of incomplete houses as on 1st April,2017-

Number of houses completed during 2017-18-

Number of incomplete houses as on 31-3-2018-

1. Details of incomplete houses as on 31.03.2018

Sl. No.	Financial Year	No. of beneficiaries who were not given the 1st installment	No. of beneficiaries who received installments but have refunded the amount
1	1996-97		
2		
3	2015-16		

2. Beneficiaries who died without any legal heir-

Sl. No.	Financial Year	No. of beneficiaries	Amount released to these beneficiaries
1	1996-97		
2		
3	2015-16		

3. Beneficiaries who migrated permanently-

Sl. No.	Financial Year	No. of beneficiaries	Amount released to these beneficiaries
1	1996-97		
2		
3	2015-16		

4. No. of beneficiaries against whom recovery process started /FIR lodged etc. -

Sl. No.	Financial Year	No. of beneficiaries	Amount released to these beneficiaries
1	1996-97		
2		
3	2015-16		

5. beneficiaries who can complete their houses with the help of additional monetary help from the State Govt

Sl. No.	Financial Year	No. of beneficiaries	Amount released to these beneficiaries
1	1996-97		
2		
3	2015-16		

6. IAY Houses completed for which PMAY-G funds were used

Sl. No.	Financial Year	No. of beneficiaries	Amount utilized
1	1996-97		
2		
3	2015-16		

Based on the above, number of houses that can never be completed (year-wise, if possible)-
..... and the amount involved

is..... and the amount involved

is.....

signature.....

Dy. Development Commissioner

Dated.....